राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा, जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– नारायणलाल जीनगर, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 237/2023 प्रा०फा

1– श्री भेरु पुत्र मागा गुर्जर नि० देवखेड़ी तह० करेड़ा-भी०

प्रार्थी।

बनाम

1– श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: **आदेश** ::   दिनांक: 12/5/2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवखेड़ी पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा में उनके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 191 की आ0नं0 193/0.1897, 195/0.2529, 88/0.9485 कुल किता 3 रकबा 1.3911 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11/5/23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: **आदेश** ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवखेड़ी पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 191 की आ0नं0 193/0.1897, 195/0.2529, 88/0.9485 कुल किता 3 रकबा 1.3911 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 [illegible] को 650/- रुपये कमिश्नर फीस **पर कमिश्नर** नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:37:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा